न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **डॉ0 मधु खरे**
सदस्य

रिव्यु प्रकरण कमांक 205–दो/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–9–2007 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 1068–दो/2005

.....

नारायण सिंह पुत्र श्री कलुआराम
निवासी ग्राम जामखो, तहसील व
जिला शिवपुरी

..... आवेदक

विरूद्ध

1. ताराचन्द पुत्र श्री नानकराम
2. रतनलाल पुत्र श्री जीवनलाल
   निवासी ग्राम जामखो, तहसील व
   जिला शिवपुरी

..... अनावेदकगण

– – –

श्री एस0एल0धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

– – –

:: आ दे श ::

(पारित दिनांकः 14 दिसम्बर, 2015)

आवेदक ने यह पुनर्विलोकन भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–9–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने अपर तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष धारा 190, 110 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत आवेदन पेश किया जिसमें लिखा कि ग्राम जामखो के सर्वे कमांक 900 रकवा 0.22 हे0 पर आवेदक का वर्ष 1985–85 से कब्जा है वह उस पर बिना रोक टोक खेती करता चला आ रहा है।

उक्त भूमि अनावेदक कमांक रतनलाल ने 1600/– रूपये में मौखिक रूप से विकय कर उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा करा दिया मौखिक रूप से विकय किया है। जब अनावेदक उक्त भूमि का सीमांकन कराने पहुंचा तब आवेदक को जानकारी हुई कि उक्त भूमि अनोवदक कमांक 1 ने अनावेदक कमांक 2 को विकय कर दी है, जबकि उक्त भूमि पर वर्ष 1983–84 से अनावेदक कमांक 1 की जानकारी में आवेदक का कब्जा चला आ रहा है। अतः आवेदक का उक्त भूमि पर कब्जा इन्द्राज कर नामांतरण किया जाये। अपर तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर इस्तहार कर अनावेदक आहूत किये। अनावेदक ताराचन्द द्वारा उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि आवेदक का विवादित भूमि पर किसी भी वर्ष में कोई कब्जा नहीं रहा। आवेदक उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग पर खेती नहीं करता रहा। आवेदक का यह कहना गलत है कि आवेदक को उक्त भूमि मौखिक रूप से विकय किया तथा यह कहना भी गलत है कि तबसे ही आवेदक उक्त भूमि पर खेती कर रहा है। अपर तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 30–12–2003 के द्वारा आवेदक का ग्राम जामखो का खसरे के खाना नं0 12 में कब्ज इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया। अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–11–2004 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया तथा रिकार्ड संशोधित करने के आदेश दिये। आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–6–2005 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14–6–2007 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई। इस न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया एवं नियमों के विपरीत आदेश पारित किया गया है। अनावेदक कमांक 1 ने

विवादित भूमि लगभग 20 वर्ष पूर्व ही विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था जिस पर आवेदक ने पशुओं को बांधने के लिए टपरा, वृक्ष लागकर विकसित किया और आवेदक निवासरत होकर कृषि कार्य कर रहा है। यह भी तर्क दिया कि आवेदक ने धारा 109 एवं 110 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि धारा 150 के प्रभाव में 20 गुना धनराशि जमा करने पर मौरूसी कृषक के अधिकार प्रतिभूद होने से भूमिस्वामी हो गया है। साथ ही विचारण न्यायालय तहसील के प्रकरण कमांक 2/01–02/अ–46 में दिनांक 23–1–2001 के निर्देश के पालन में एक आवेन पत्र धारा 115 एवं 116 का प्रस्तुत किया गया था जिसपर तहसीलदार द्वारा धारा 115 के अन्तर्गत उभय पक्षों के साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा राजस्व निरीक्षक से कब्जा संबंधी स्थल जांच प्रतिवेदन लिया जाकर उभय पक्षों को साक्ष्य एवं सनुवाई के उपरांत संहिता की धारा 115, 121 एवं म0प्र0 भू–अभिलेख नियमावली भाग–1 के अध्याय की कंडिका 6/अ के तहत प्रतिवर्ष कृषि करने वालों का इन्द्राज किया गया था। सभी मेढियों के कथन कराये। अनावेदक का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा कयशुदा भूमि के अलावा भी दो अन्य नम्बर कय किये थे जो विक्रय पत्र से स्पष्ट है। उक्त विक्रय पत्र सर्वे नम्बर 900 में किसी प्रकार के वृक्ष आदि का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि सर्वे नम्बर 900 में आम एवं जामफल के वृक्ष खडे हुये जो जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है। कयशुदा भूमि पर अनावेदक का कब्जा है गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप खसरा एवं कथन कराये गये। इस न्यायालय ने अपने आदेश में विक्रय पत्र के पूर्व के खसरा का अवलोकन किये बिना ही विवादित आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक ने संहिता की धारा 190/110 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर तहसीलदार को संहिता की धारा 190 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था इसलिए तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 19–4–2002 द्वारा अमान्य किया गया था। अतः अब इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 190 के अन्तर्गत मौरूसी कृषक के अधिकार आवेदक को उद्यभूत हो गये थे। जहां तक आवेदक के

संहिता धारा 115–116 के आवेदन पर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि नवीन प्रविष्टी अंकित करने का अधिकारिता संहिता की धारा 115/116 में नहीं है। आवेदक द्वारा उठये गये तर्कों का निराकरण इस न्यायालय ने निगरानी के आदेश में किया जा चुका है। अतः यह पुनर्विलोकन आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा संहिता 190/110 आवेदन संबंधी तर्क का निराकरण मूल आदेश में किया जा चुका है तथा तहसीलदार द्वारा किये गये 115/116 के नवीन प्रविष्टी के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत नहीं होने से निरस्त करने संबंधी निष्कर्ष भी निकाला गया है। आवेदक द्वारा निगरानी में उठाये तर्कों को पुनः पुनर्विलोकन में उठाया है तथा इस न्यायालय के आदेश में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया है। संहिता की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है–

1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3 कोई अन्य पर्याप्त कारण

इस प्रकार इस पुनर्विलोकन में उपरोक्त आधारों में से कोई आधार उपलब्ध नहीं है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24–9–2007 की पुष्टि की जाती है ।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर